

जिला गंजट
बिहार सरकार

असाधारण अंक-

(छपरा- वृहस्पतवार-19 फरवरी-2015)

समाहर्ता, सारण एवं जिले के विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रसारित अधिसूचनाएँ, घोषणाएँ, निविदाएँ, विज्ञापितियाँ आदि।


बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना का शुद्ध पत्र

पत्रांक.....

दिनांक.....


चूँकि समाहर्ता, सारण को यह प्रतीत होता है कि परियोजना गंगा नदी पर रेलवे ब्रीज निर्माण हेतु जहाँगीरपुर चा0 नं0-1 थाना-सोनपुर,परगना-कसमर, जिला सारण में सर्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् गंगा नदी पर रेलवे ब्रीज हेतु खेसरा सं0-186 में पूर्व प्रकाशित रकवा-0.03 ए0 एवं खेसरा सं0 242 का पूर्व प्रकाशित रकवा-0.005 ए0 है जबकि एलाईमेंट के अनुसार खेसरा सं0-186 रकवा-0.05 ए0 एवं खेसरा सं0-242 रकवा-0.045 ए0 होना चाहिए।

अतः खेसरा सं0-186 का रकवा-0.05 ए0 एवं खेसरा सं0-242 का रकवा-0.045 ए0 शुद्ध रकवा समझा जाय। यानि इस परियोजना में ग्राम-जहाँगीरपुर का अधिग्रहीत कुल रकवा-6.18 ए0 के स्थान पर कुल रकवा-6.24 ए0 समझा जाय।


समाहर्ता,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक-.....265...../भू-अर्जन,छपरा, दिनांक-.....19/2/15.....

- प्रतिलिपि :- 1. निदेशक भू-अर्जन निदेशालय, विहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- 2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- 3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
सारण,छपरा।